

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-251/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/251)

1. श्री मांगीलाल पुत्र हनुमानदास आयु 76 साल जाति साधु निवासी सरमालिया ब्यावर तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांत

बनाम

1. श्री शिवप्रकाश पुत्र मांगीलाल आयु 40 साल जाति साधु निवासी सरमालिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती शीला पुत्री मांगीलाल पत्नी सत्यनारायण आयु 50 साल जाति साधु निवासी सरमालिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी रूपरा वाया बान्दनवाडा जिला अजमेर।
3. श्रीमती कंचन पुत्र मांगीलाल पत्नी घनश्याम आयु 45 साल जाति साधु निवासी सरमालिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी चाट (मंगरी) तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. भूमिधारी तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।
5. उप-पंजीयक ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

6. श्री रामचंद्र पुत्र हनुमानदास
7. कमला पुत्री मांगीलाल पत्नी भागचंद आयु 44 जाति साधु निवासी सरमालिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल निवासी टांटोटी उपतहसील टांटोटी तहसील सरवाड जिला अजमेर।

प्रफॉर्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 01/2017

उपरिथत:-

1. श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार, अभिभाषक अपीलांत.
2. श्री सूरज सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 अनुपरिथत।

निर्णय

दिनांक:-24.05.2023


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर





1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1-3 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। लेकिन इसके बाद प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी/अपीलांत की समुचित पैरवी नहीं की गई और ना ही न्यायालय द्वारा उक्त बिंदु से अपीलांत को अवगत करवाया जबकि अपीलांत न्यायालय में स्वयं उपस्थित होता था। इस प्रकार बिना अपीलांत को अवगत कराए बिना ही अपीलांत की जिरह बंद कर अपीलांत की साक्ष्य बंद कर दी, और दिनांक 30.3.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, और बिना नोटिस व सूचना दिए अंतिम डिक्री पारित कर दी, जबकि विवादित आराजीयात का ना तो प्रतिवादी/अपीलांत द्वारा बैचान किया जा रहा है एवं ना ही किसी प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद साबित होना मान कर दिनांक 30.3.2021 को गैर कानूनी आदेश पारित कर स्वीकार वादीगण का काल्पनिक हिस्सा मानकर विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांत एवं अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 03 की बहस सुनी गई। रेस्पोंडेंट संख्या 6 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
4. अभिभाषक अपीलांत ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा मुकदमें की पैरवी हेतु अपना अभिभाषक नियुक्त किया था लेकिन अभिभाषक द्वारा जानबूझकर अपीलांत की समुचित पैरवी नहीं की गई और अपीलांत जो स्वयं न्यायालय में उपस्थित होता था लेकिन पीठासीन अधिकारी के रीडर द्वारा भी अभिभाषक द्वारा पैरवी नहीं किए जाने के तथ्य से अवगत नहीं करवाया गया। जिससे निर्णय दिनांक 30.3.2021 व निर्णय दिनांक 21.9.2021 की जानकारी अपीलांत को नहीं हो पाई लेकिन जब वादी शिवप्रकाश द्वारा विवादित आराजीयात का निर्णय करवा लेने व भूमि बेचान किए जाने की बात किए जाने पर प्रार्थी द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया गया तो उसने मुकदमें की कोई जानकारी नहीं थी। फिर पर प्रार्थी ने अन्य अभिभाषक नियुक्त कर मुकदमें की जानकारी दिनांक 30.9.2021 को प्रकरण की नकल हेतु आवेदन किया गया और नकल प्राप्त की और फिस आदि का इंतजाम करने अपने गांव आ गया फिर फिस व आवश्यक खर्च का बंदोबस्त कर आज दिनांक 23.11.2021 को अपील तैयार करवाई और आज जानकारी से अंदर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देशी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांत के वकिल द्वारा समुचित पैरवी नहीं करने पर न्यायालय

Jm
अधीनस्थ न्यायालय
अ. नं. १



को पुनः प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड एंडी नोटिस जारी करने चाहिए थे या फिर अपीलांट को जो कि स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना था। उसको अवगत करना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अगल में आकर प्रकरण का निर्णय कर दिया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पक्षकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को शीघ्र निपटाने की मंशा के कारण अपीलांट को अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बगैर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री निरस्त योग्य थी। सम्पूर्ण विवादित आराजीयात कभी भी वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 के दादा हनुमान दास की खातेदारी में नहीं रही है। विवादित आराजीयात में से 1/2 हिस्से की आररजीयात सुगनदास के नाम और फिर सुगनदास के पुत्र मोहनदास के नाम दर्ज रही और मोहनदास के नाओलाद फौत होने पर 1/2 हिस्से की आररजीयात मांगीलाल के नाम दर्ज हुई जबकि मोहनदास ने अपने जीवन काल में रामचंद्र को गोद ले रखा था। लेकिन 1/2 आराजीयात रामचंद्र की जगह मांगीलाल के नाम दर्ज हो गई जिसे किसी प्रकार से वादीगण के दादा हनुमानदास की आराजीयात नहीं माना जा सकता है। जिससे वादीगण सम्पूर्ण विवादित आराजीयात में से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विवादित आराजीयात अकेले वादीगण के दादा हनुमानदास की खातेदारी व कब्जे काशत नहीं थी। जो वाद पत्र में स्वयं वादी द्वारा दिए गए सजरे से सिद्ध है मोहनदास के हिस्से की आराजीयात रामचंद्र के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन गलत इंड्राज का फायदा उठाकर वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टिया ही निरस्त कर देना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पूरे रिकार्ड का अवलोकन किए बगैर विवादित भूमि को पुश्तैनी भूमि मानकर निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। विवादित आराजीयात में से 1/2 हिस्से तक की आराजी मोहनदास की खातेदारी व कब्जा काशत की होने के कारण वादी/रेस्पोंडेंट का विवादित आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मात्र अवैधानिक नामांतरण के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात का आधा हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया। जिसे किसी प्रकार से पुश्तैनी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार वादीगण ने प्रतिवादी के साथ साथ न्यायालय के साथ भी छल कर सम्पूर्ण भूमि पर बंटवारे का आदेश पारित किया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। वादी शिवप्रकाश द्वारा अपने पिता को बेघर कर आए दिन मारपीट की जाती है एवं अपीलांट ने वादी के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण व पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई है साथ वादी द्वारा गलत वाद कारण अंकित कर अपीलांट पर भूमि के बेचान किए जाने का आरोप लगाया है जबकि अपीलांट द्वारा भूमि का कतई बेचान नहीं किया जा रहा है और ना ही भविष्य में किया जाएगा जबकि स्वयं वादी पुश्तैनी भूमि को बेचान करने पर सख्त आमादा है जिससे बिना वाद कारण सिद्ध किए ही वादीगण का वाद गलत रूप से डिक्री कर दिया गया है। वादी शिवप्रकाश द्वारा अपीलांट के साथ मारपीट की गई जिसकी कार्यवाही मु0न0 428/2017 प्रकरण दर्ज कर की गई एवं नि.फौज प्रकरण संख्या 168/2019 उनवानी सरकार बनाम शिवप्रकाश में भी वादी शिवप्रकाश द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर बतौर जमानत 10000/- रूपए मुचलका राशी जमा करवाई गई एवं वादी द्वारा अपनी मां के साथ भी मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। इस प्रकार वादी अपीलांट को ऐन केन प्रकारेण परेशान करके विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द करना चाहता

Jm
शिवप्रकाश अदालत प्राधिकारी
अजमेर

जिससे उसको विवादित आराजीयात का खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांत स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांत का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01से 03 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक संयुक्त सहखोदारी की आराजी ग्राम सरमालिया पटवार हल्का सरमालिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ब्यावर खास तहसील ब्यावर में किस्म बा0 3 कुल किता 7 रकबा 6-1-10 स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक संयुक्त सह-खोदारी की आराजी है जो कि उनके पूर्वज श्री हनुमानदास व सुगनदास से उनकी विरासत में प्राप्त हुई है। सुगनदास व हनुमानदास छोगदास के पुत्र है, सुगनदास के एक ही पुत्र मोहनदास उत्पन्न हुए थे जो कि पूर्व में ही अविवाहित फौत हो चुके हैं, एवं उनके फौत हो जौन के बाद उनकी विरासती नामांतरण वादी संख्या 1 व प्रतिवादी के पिता मांगीलाल के नाम राजस्व रेकार्ड संवत 2048 से 2051 जमाबंदी में खोला गया है। चूंकि उपरोक्त आराजी मोहनदास से प्राप्त होने के उपरांत प्रतिवादीगण के जन्म से ही उपरोक्त आराजीयात में हक व हिस्सा निहित चला आता है एवं इसी प्रकार हनुमानदास की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात का नामांतरण वादीगण के नाम विरासती नामांतरण खोला गया एवं उपरोक्त आराजीयात हनुमानदास व सुगनदास व मोहनदास की मृत्यु के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विधिक प्रावधानुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण का हक व अधिकार उनके जन्म से ही उत्पन्न हो चुका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानुसार भी उपरोक्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिकार जन्म से ही निहित होकर आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात चली आ रही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के अकेले के नाम बतौर खातेदार होने का बेजा फायदा उठाते हुए वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण से मिलीभक्ति कर अन्यत्र बेचान कर खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है एवं उपरोक्त पैत्रिक आराजी में से प्रतिवादीगण को बेदखल कर उनके हक व हिस्से की आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्तियों को बैचान कर उसका कब्जा उन्हें संभलाने पर आमादा है। वादीगण के उपरोक्त कृत्यों के कारण मजबूरन प्रतिवादी को दिनांक 20.12.2016 को अपने गांव के ही मौतवीर व्यक्तियों के सामने पुनः वादी से घर जाकर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजीयात को अन्यत्र बैचान ना करे, यदि बैचान आदि करते हैं तो हमारे हक में आने वाली भूमि का बंटवारा कर हमको हमारा हक दे दो उसके पश्चात आपके हक में आने वाली भूमि को अन्यत्र बैचान



करे तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार वादीगण के उपरोक्त कृत्यों के कारण प्रस्तुत वाद वास्ते बाई गिटस एण्ड बोउण्डस के बंटवारे एवं खातेदारी की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था। प्रतिवादी के पक्ष में वादीगण के विरुद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जाकर कृषि भूमि प्रतिवादीगण व वादीगण की पैतृक आराजी में प्रतिवादीगण व वादीगण का प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा निहित है एवं उक्तानुसार बाई गिटस एण्ड बोउण्डस विभाजन किया जावे व बंटवाराशुदा भूमियों का राजस्व नक्शा भी अलग-अलग किया जावे, व वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमियों से बेदखल नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी को रहन बय बैचान आदि नहीं करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधि. के प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद है। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 मियाद अधिनियम को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।




हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा, बंटवारे, इंद्राज दुरुस्ती हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक आराजीयात है उनके पूर्वज हनुमानदास व सुगनदास को स्वयं को विरासत में प्राप्त हुई है तथा सुगनदास व हनुमानदास जी छोगादास के पुत्र है सुगनदास के एक पुत्र मोहनदास उत्पन्न हुए जो पूर्व में अविवाहित फौत हो गए एवं उनके बाद उनके नामांतरण प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल व वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में तस्दीक किया गया चूंकि वादग्रस्त आराजीयात मोहनदास से प्राप्त होने के कारण वादीगण के हिस्से जन्म से ही उपरोक्त आराजीयात में निहित हो चुके थे इस प्रकार से हनुमानदास की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजीयात का नामांतरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तस्दीक किया गया तथा उक्त आराजीयात में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हक व अधिकार है तथा वादग्रस्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा निहित है तथा उक्त आराजीयात बाबत वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाए। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद का जवाबदाया प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पांच तनकियात कायम की जाकर प्रत्येक तनकियों पर तनकीवार निस्तारण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 आया वादी वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के ही उक्त आराजीयात होने से प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा निहित है व बंटवारा कराने के अधिकारी है उक्त तनकी को साबित करने हेतु वादी/रेस्पोंडेंटस संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्श संख्या 1 लगायत 23 प्रस्तुत किया तथा उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट था की उक्त आराजीयात वादीगण

Mu
राजस्व अपील प्रधिकारि
अजमेर




व प्रतिवादी की पैतृक आराजी थी जो कि विरासत से प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादी व प्रतिवादी का उक्त आरजीयात में 1/6-1/6 हिस्सा निहित है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत उक्त तनकी का विधिनुसार निर्णय परित किया जिसमें न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इसी प्रकार से तनकी संख्या 2 का निर्णय भी तनकी संख्या 1 के निर्णय के अनुसार वादी/प्रतिवादी 1 लगायत 3 के विरुद्ध वादीगण स्वयं के हक हिस्से की आराजियात की सीमा तक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी पाये जाने बाबत विधिवत रूप से निर्णित की है तथा शेष तनकीयात का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात पर प्रदर्श अंकित कर समस्त दस्तावेजात एवं समस्त गवाहों के बयानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोंडेंटस संख्या 1 लगायत 3 उक्त राजस्व वाद विधिनुसार दिनांक 31.3.2021 को डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की गई जिसमें न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है तथा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.3.2021 को यथावत् रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2021 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर